


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
आदेश

कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.20) शिक्षा-2/2013 दिनांक 6.11.2015 एवं दिनांक 22.08.16 की पालना में दिनांक 31.07.2016 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)की उनके तदर्थ/अस्थाई रूप से व्याख्याता पद पर पदस्थापन अवधि से उन्हें नियमित डीपीसी/पीएससी-चयन अथवा सेवा निवृत्ति होने तक की अवधि की कार्योत्तर अभिवृद्धि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में एतद द्वारा जारी की जाती है।

| क्र.सं. | नाम व्याख्याता मय पदस्थापन<br>(सर्वश्री/श्रीमती/सूश्री)                                      | विषय    | जन्मतिथि   | तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक                   | डीपीसी/आरपीएस<br>सी वर्ष | सेवानिवृत्ति तिथि |
|---------|--|---------|------------|--|--------------------------|-------------------|
| 1       | ईश्वर लाल कुमावत, से.नि. प्रधानाचार्य,<br>राजकीय आदर्श उ.मा.विद्यालय, राखी (समदड़ी), बाड़मेर | वाणिज्य | 08-07-1956 | शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/<br>2001 दिनांक-06.03.2002 | डीपीसी-02-03             | 31-07-2016        |
| 2       | प्रभुदयाल व्यास, से.नि.प्रधानाध्यापक<br>रामादि,केलवाड, पाली                                  | वाणिज्य | 05-05-1954 | शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31821/<br>85-86 दिनांक-16.12.85  | डीपीसी-94-95             | 31-05-2014        |

  
(नथमल डिडोल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 19.5.17

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012/50

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 शासन उपसचिव, (शिक्षा ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
- 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर